सीडीआर अमित कुमार शर्मा ईटीसी बनाम।

भारत और ओ. आर. एस. ई. टी. सी. का संघ (2022 की सिविल अपील संख्या 841-843) 20 अक्टूबर, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत-उल्लंघन-प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सीलबंद लिफाफे में खुलासा-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (ए. एफ. टी.) ने भारतीय नौसेना में स्थायी आयोग के इनकार को चुनौती देने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया-क्या ए. एफ. टी. चयन कार्यवाही की वैधता पर निर्णय ले सकता था जब प्रासंगिक सामग्री का खुलासा केवल ए. एफ. टी. को सीलबंद लिफाफे में किया गया था-अपील पर कहा गयाःन्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा जिन सभी सामग्रियों पर भरोसा किया जाता है, उनका खुलासा किया जाना चाहिए-भले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुँचते समय सामग्री पर भरोसा नहीं करता हो, लेकिन विवाद के लिए प्रासंगिक जानकारी, जो 'उचित संभावना' के साथ प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करेगी, का खुलासा किया जाना चाहिए-ऐसी सामग्री का एकतरफा प्रस्तुत करना जो दूसरे पक्ष के बहिष्कार के लिए निर्णय का विषय बनती है, प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन करती है-वर्तमान मामले में, इसके परिणामस्वरूप उन अधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जिनके करियर सीधे प्रभावित होते हैं-प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा नहीं करना और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सीलबंद लिफाफे में इसका खुलासा करना (इस मामले में एएफटी) एक खतरनाक मिसाल कायम करता है-सामग्री

प्रत्यर्थियों द्वारा तैयार किए गए मापदंडों और उनके महत्व की तुलना में अपीलार्थियों की योग्यता में स्थिति-रिक्तियों की जानकारी का खुलासा करने और ए. एफ. टी. को सीलबंद लिफाफे में बोर्ड की कार्यवाही का पालन करने की प्रक्रिया के कारण भौतिक पूर्वाग्रह पैदा हुआ है-ए. एफ. टी. के विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपीलों के अनुरूप ओ. ए. को ए. एफ. टी.-सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 द्वारा नए सिरे से निर्णय के लिए बहाल किया जाता है।

अभ्यास और प्रक्रिया-एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रासंगिक सामग्री का प्रकटीकरण-आयोजितःयह निर्णय की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी बनाता है-एक सीलबंद लिफाफे में प्रकटीकरण दो समस्याओं को कायम रखता है-पहला, यह पीड़ित पक्ष को एक आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित करता है क्योंकि मुद्दों का निर्णय एक सीलबंद लिफाफे में प्रदान की गई साझा सामग्री के आधार पर आगे बढ़ा है-सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत सामग्री पर

भरोसा करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक निष्कर्ष पर पहुंचता है जिसे तब प्रभावी रूप से चुनौती की पहुंच से बाहर रखा जाता है-दूसरा, यह अपारदर्शिता और गोपनीयता की संस्कृति को कायम रखता है-यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के हाथों में पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, एक प्रमुख पक्ष के पक्ष में मुकदमे में शक्ति के संतुलन को झुकाता है जिसका सूचना पर नियंत्रण होता है-अक्सर यह राज्य नहीं होता है-एखुदिराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 2 एस. सी. सी. 81:[1975] 2 एस. सी. आर. 832, टी. ताकानो बनाम प्रतिभूति और

ग

डी.

ई.

च

जी.

2022 की भारतीय नागरिक अपील सं. 487-488-पर भरोसा किया गया।

एच.

627

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. ए.

क.

भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराज

(2020) 13 एससीसी 1:[2020] 10 एस. सी. आर. 433; लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम भारत संघ (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 261:[2021] 4 एस. सी. आर. 633-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[2020] 10 एससीआर **433**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

[2021] 4 एससीआर **633**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

[1975] 2 एससीआर **832**

पर भरोसा किया

पैरा **24**

ग

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 841-843।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के 2021 के मूल आवेदन संख्या 2167 (ओ. ए. 106/2017 आर. बी. मुंबई), 2021 के मूल आवेदन संख्या 2169 (ओ. ए. 105/2017 आर. बी. मुंबई) और 2019 के मूल आवेदन संख्या 816 के निर्णय और आदेश से।

डी.

सह

सिविल अपील संख्या 846 (2022 की सिविल अपील संख्या 845-846), 2457,2059-2060,2216,856-858,855,852-854,844,2022 की 847-851,2022 की डायरी संख्या 20730 और 23503।

ई.

संजय जैन, ए. एस. जी., हुज़ेफा अहमदी, सी. यू. सिंह, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, सुश्री पूजा धर, मंटव्य शर्मा, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, सुधांशु एस. पांडे, गाइचांगपोउ गंगमेई, अर्जुन डी. सिंह, यशवीर कुमार, अभिषेक आर. शुक्ला, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) विवेक छत्रे, सिद्धांत बक्शी, कृष्ण सुमंत, सुश्री कामिनी जैसवाल, अभिमन्यु श्रेष्ठ, सुश्री रानी मिश्रा, दिव्यांश खुराना, अनुपम रैना, निखिल पल्ली, सुश्री कौनैन फातमा, दीपक गोयल, सुश्री नीला केदार गोखले, अनुकल्प जैन, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अर्काज कुमार, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री शाहरुख आलम, आलोक कुमार। अग्रवाल, सुश्री अनुष्का शर्मा, सुश्री सिमरान अरोड़ा, गौरव गोयल, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

च

जी.

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 की धारा 31 (1) के तहत अपील करने की अनुमति दी गई है।

2. देरी को माफ कर दिया गया।

3. अपीलों का यह समूह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण 1 की प्रधान पीठ के 3 जनवरी 2022 के एक फैसले से उत्पन्न होता है।ए. एफ. टी. ने भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन 2 के इनकार को चुनौती देने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया।मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ए. एफ. टी. चयन कार्यवाही की वैधता पर निर्णय ले सकता था जब प्रासंगिक सामग्री का खुलासा केवल ए. एफ. टी. को सीलबंद लिफाफे में किया गया था।

ग

तथ्य

4. 26 सितंबर 2008 को रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि महिला अल्पकालिक सेवा आयोग के 3 अधिकारी अनुदान के लिए पात्र होंगे।

डी.

पी. सी. संभावित रूप से।भारत संघ बनाम लेफ्टिनेंट कमांडर

एनी नागराज 4, इस अदालत के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या 2008 से पहले भारतीय नौसेना की विभिन्न शाखाओं में शामिल की गई महिलाएं पीसी के अनुदान की हकदार थीं। 17 मार्च 2020 के अपने निर्णय द्वारा, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि 5:

(i) केंद्र सरकार के 25 फरवरी 1999 के नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप, पीसी के अनुदान के संबंध में महिलाओं सहित एसएससी अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें नौसेना समारोह के भाग III के अध्याय IV के विनियमन 203, सेवा की शर्तें और विविध विनियम 1963 6 द्वारा शासित थीं।

ई.

च

((ii) 26 सितंबर 2008 के नीति पत्र में भारतीय नौसेना (शिक्षा, कानून और नौसेना निर्माण) की केवल निर्दिष्ट शाखाओं/संवर्गों के लिए इसे संभावित और लागू करने की शर्त लागू करने योग्य नहीं थी।

जी.

1 “एएफटी "

2 “पीसी "

3 “एसएससी "

4 (2020) 13 एससीसी 1

5 एनी नागराज में फैसले के पैराग्राफ 109.5,109.6 और 109.7।6 “नियम "

एच.

629

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(iii) शिक्षा, कानून और रसद संवर्ग के सभी एस. एस. सी. अधिकारी, जो वर्तमान में सेवा में थे, उन्हें पी. सी. अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।

(iv) केंद्र सरकार के 25 फरवरी 1999 के नीति पत्र को विनियमन 203 के साथ पढ़कर देखते हुए अधिकारी पी. सी. के अनुदान के हकदार थे।

(v) उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के समक्ष मामलों के समूह में एस. एस. सी. महिला अधिकारी जो "वर्तमान में सेवा में हैं", उन पर दिल्ली उच्च न्यायालय और ए. एफ. टी. के फैसले की तारीख या जैसा कि "वर्तमान में है", जो भी अधिक हो, रिक्त पद के आधार पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।

ग

(vi) पी. सी. के अनुदान के लिए सेवारत अधिकारियों के आवेदनों पर विनियमन 203 में निहित मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा, अर्थात्:

डी.

(क) सुसंगत समय पर स्थिरीकृत संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता;

(ख) उपयुक्तता का निर्धारण;

(ग) नौसेना प्रमुख की सिफारिश; और

(घ) सूचीकरण रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, विचाराधीन अधिकारियों के ए. सी. आर. पर मूल्यांकन की गई अंतर-योग्यता पर आधारित होगा।

ई.

5. समय पर तीन बिंदु हैं, जिन्हें रिक्तियों के निर्धारण के लिए अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा गया था, अर्थात् (i) अगस्त 2015, जब एनी नागराज (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था;

च

(ii) सितंबर 2016, जब ए. एफ. टी. का निर्णय

कमांडर प्रिया खुराना बनाम भारत संघ **7**

उच्चारण; और

जी.

(iii) मार्च 2020, जब एनी नागराज (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था।

6. उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए, निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया पूरी की गई।उत्तरदाताओं ने कुल 88 पर काम किया।

एच.

7 2016 का ओ. ए. संख्या 143

630

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

रिक्तियां।306 88 रिक्तियों के खिलाफ पीसी के लिए अधिकारियों पर विचार किया गया था, जिसके बाद उनमें से 80 को पीसी दिया गया था। दूसरे प्रतिवादी (रक्षा मंत्रालय (नौसेना) के एकीकृत मुख्यालय) ने एक संकेत आदेश जारी कर कई एस. एस. सी. अधिकारियों को इस आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया कि उन्होंने पी. सी. प्राप्त नहीं किया था। सिग्नल ऑर्डर केवल कमीशन की तारीख, रिलीज की तारीख और अधिकारी की इकाई को नोट करता है, बिना चयन की प्रक्रिया या सापेक्ष योग्यता के किसी भी संदर्भ के।एस. एस. सी. के कई अधिकारी, पुरुष और महिला दोनों, जिन्हें पी. सी. नहीं दिया गया था, उन्होंने पी. सी. के लिए अपने दावे की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए इस अदालत के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने पेंशन के अनुदान के लिए निर्देश मांगे।7. 24 अगस्त 2021 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय ने एनी नागराज (ऊपर) और लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम भारत संघ 8 में पीसी देने के लिए सिद्धांतों को पहले ही निर्धारित कर दिया था।यह देखा गया कि जिन अधिकारियों को पी. सी. से वंचित किया गया था, वे व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर निर्णय पर हमला करेंगे और इस प्रकार, उनके लिए ए. एफ. टी. के समक्ष अपनी राहत का दावा करना आवश्यक होगा। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

ग

डी.

“12 जिन याचिकाकर्ताओं पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया गया था और उन्हें इससे वंचित कर दिया गया था, उन्हें उन्हें नहीं देने के निर्णय पर हमला करना होगा।

प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर पीसी।असर डालना

इसे ध्यान में रखते हुए, उनके लिए ए. एफ. टी. के समक्ष अपने उपायों को आगे बढ़ाना आवश्यक होगा जहां प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच की जा सके।यदि याचिकाकर्ता पी. सी. के अनुदान के लिए अपनी याचिका पर सफल होते हैं, तो अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के वैकल्पिक दावे का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं होगा।यह केवल तभी होता है जब पी. सी. के इनकार को बरकरार रखा जाता है कि वैकल्पिक याचिका को दबाया जा सकता है और इसे क़ानून के तहत उपलब्ध उपचारों का पालन करके ए. एफ. टी. के निर्णय के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है।इसलिए, मामले के विचारशील दृष्टिकोण से हम गुण-दोष के आधार पर अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार नहीं करने के लिए इच्छुक हैं।"

ई.

च

(जोर दिया गया**)**

8. दूसरा प्रत्यर्थी, लिखित प्रस्तुतियों में

जी.

कमांडर ए**.** के**.** शर्मा बनाम भारत संघ **9** में दायर ए**.** एफ**.** टी**.** ने प्रस्तुत किया कि

रिक्ति गणना सरल गणित के अभ्यास से अधिक है और यह कि रिक्ति गणना के संक्षिप्त विवरण को खुले में नहीं रखा जा सकता है।

8 (2021) 2021 ए का एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 261 9 ओ. ए. 2167

एच.

631

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

स्पष्ट कारणों के लिए डोमेन।तदनुसार, इस माननीय न्यायाधिकरण को रिक्तियों की गणना के संबंध में एक सीलबंद लिफाफे में (जब और जब मांगा जाएगा) एक विस्तृत नोट प्रदान किया जाएगा।” यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता "चयन बोर्ड की कार्यवाही से पूरी तरह से स्पष्ट होगी जो इस माननीय न्यायाधिकरण को सीलबंद लिफाफे में अवलोकन के लिए प्रदान की जाएगी, यदि आवश्यकता पड़ी तो।” इसी प्रकार,

कमांडर वर्षा अग्रवाल बनाम यूनियन में दायर जवाबी हलफनामा

भारत **10** में से**,** यह प्रस्तुत किया गया था:**“**तदनुसार**,** इस माननीय न्यायाधिकरण को रिक्तियों की गणना के संबंध में एक सीलबंद नोट प्रदान किया गया है।

लिफाफा "।

ग

(जोर दिया गया**)**

9. ए. एफ. टी. ने 3 जनवरी 2022 के विवादित फैसले द्वारा इस अदालत के आदेश के अनुसार ए. एफ. टी. को स्थानांतरित किए गए मामलों का निपटारा उन मामलों के साथ किया जहां ए. एफ. टी. के समक्ष पी. सी. के इनकार को चुनौती दी गई थी। पैराग्राफ 54 में ए. एफ. टी. के विवादित फैसले से संकेत मिलता है कि उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत कियाः

डी.

(i) दिसंबर 2020 में बुलाए गए चयन बोर्ड से जुड़ी सभी फाइलें;

((ii) पीसी के अनुदान के लिए आयोजित पिछले चयन बोर्ड; (iii) एस. एस. सी. अधिकारियों का प्रबंधन; और

ई.

(iv) ए. एफ. टी. के समक्ष 32 आवेदकों की गोपनीय रिपोर्ट वाले डोजियर।

10. उपरोक्त के अलावा, ए. एफ. टी. ने पैराग्राफ 81 में उल्लेख किया कि "उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रिकॉर्ड और फाइलों" के अवलोकन पर, दूसरे उत्तरदाता ने निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया थाः

च

(क) 2020 से पहले आयोजित चयन बोर्ड;

(बी) विचार के लिए आधार रेखा और विचार किए जाने वाले बैच; (सी) विचार के लिए अधिकारियों का वर्गीकरण;

जी.

(घ) रिक्तियों का निर्धारण; (ङ) उपयुक्तता मानदंड;

(च) अंतर-योग्यता मानदंड;

एच.

(छ) बोर्ड का संचालन और परिणाम; और

(ज) चयन बोर्ड की कार्यवाही का विश्लेषण।

11. निर्णय के पैराग्राफ 99 में, यह देखा गया है कि बोर्ड ने 18 दिसंबर 2020 को दृष्टिकोण पत्र में अनुमोदित मानदंडों के अनुसार अपनी कार्यवाही का संचालन किया।विवादित फैसले के पैराग्राफ 37 में भारतीय नौसेना द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया को दर्शाया गया है।फैसले का अनुच्छेद 37 नीचे दिया गया हैः

“37. वकील ने तब हमें चयन के मानदंडों के बारे में बताया और कहा कि अंकों को अंतर-योग्यता निर्धारित करने के लिए नीचे दिए गए अनुसार विभाजित किया गया था।उन्होंने कहा कि कोई 'मूल्य निर्णय' चिह्न नहीं था जैसा कि पदोन्नति बोर्डों में लागू था। उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा मानदंडों के आधार पर किसी को भी खारिज नहीं किया गया है और सभी की सिफारिश सी. एन. एस. द्वारा की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि योग्यता सूची नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर कंप्यूटर से तैयार की गई थी और कुल 381 अधिकारियों में से 80 को पीसी (41 महिला और 39 पुरुष अधिकारी) प्रदान किया गया था।इसके बाद वकील ने कारकों और उनके महत्व के बारे में विस्तार से बताया।

ग

डी.

सर।	कारक	भारांक	अनुपयुक्तता मानदंड
(अ)	एसीआर योग्यता	90%	
(ख)	एस. एल. टी. वरिष्ठता	04%	
((ग)	युद्ध	02%	रिकॉर्ड में रखे गए पिछले पांच सी. आर. चक्रों में किसी भी समय अधिकारी की सिफारिश जी और उससे कम नहीं की जानी चाहिए थी।
((घ)	पीर।	02%	रिकॉर्ड में रखे गए पिछले पांच सी. आर. चक्रों में किसी भी समय अधिकारी की सिफारिश जी और उससे कम नहीं की जानी चाहिए थी।
(ई)	पीसी के लिए सिफारिश 02%		अधिकारी को पिछले पांच सी. आर. में तीन या अधिक बार पी. सी. के लिए सिफारिश में 'नहीं' श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए था।

ई.

च

जी.

12. सीलबंद लिफाफे में प्रकट किए गए अभिलेखों को देखने के बाद, ए. एफ. टी. ने शेष आवेदकों की स्थिति इस प्रकार दर्ज कीः

एच.

633

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

635

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

21	ओए 2068/2021 डब्ल्यूपी 1471/2020 (टीएफआर-राजकुमार)	कमांडर श्रुति धवन शिक्षा/जी. एस. बैच-1999 सेवा-22	जारी किया गया 31.12.2020 रेल सेवा में रहा	पीसी	6/8 एसीआर में पीसी के लिए एनआर	7/9 पीसी ए
22	ओए 2069/2021 ताज़ा मामला	कमांडर भानु प्रताप सिंह एग्जीक्यूटिव/एलजीएस बैच-2007 सर्विस-14	जारी किया गया 31.12.2020 सेवानिवृत्त	पी. सी./पेंशन	10/15 एसीआर में पीसी के लिए कम योग्यता वाला एनआर	15/20 पीसी के योग्य ए
23	ओए 2167/2021 (टीएफआर-आरबी मुंबई) डब्ल्यूपी सं. 1269/2020 (टीएफआर-राजकुमार)	कमांडर अमित कुमार शर्मा शिक्षा/जी. एस. बैच-2003 सेवा-18	जारी किया गया 31.12.2020 रेल सेवा में रहा	पी. सी./पेंशन	2/3 एसीआर में पीसी के लिए एनआर	9/14 पीसी के योग्य ए
24	ओए 2168/2021 (टीएफआर-आरबी मुंबई) पुराना मामला, एएफटी (आरबी0 मुंबई) से स्थानांतरित किया	लेफ्टिनेंट कमांडर योगिता रानी शिक्षा/जी. एस. बैच-2003 सेवा-18	जारी किया गया 31.12.2020	पी. सी./पेंशन	3/3 कम योग्यता	14/ य

	गया					
25	ओए 2169/2021 (ओए 105/2017 आरबी मुंबई) डब्ल्यूपी 1269/2020 (टीएफआर-राजकुमार)	कमांडर पीएस सूदन एजुकेशन/जीएस बैच-2004 सर्विस-17	जारी किया गया 31.12.2020 रेल सेवा में रहा	20 वर्ष तक सेवा के लिए पी. सी./पेंशन परमिट (संदर्भ बी. पी./एन. मामला)	13/14 एसीआर में पीसी के लिए कम योग्यता वाला एनआर	19/20 पीसी के योग्य ए

ग

डी.

ई.

च

13. बोर्ड की कार्यवाही की जांच करने पर, ए. एफ. टी. ने पाया कि निर्धारित मापदंडों या अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दुर्भावना नहीं थी।यह भी देखा गया कि अधिकारियों को सीमित रिक्तियों के मुकाबले उनकी तुलनात्मक योग्यता के कारण पी. सी. नहीं दिया गया था और कुछ मामलों में, अधिकारियों को उपयुक्त नहीं पाया गया था।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे निकाला गया हैः

जी.

"110. सभी पक्षों को सुनने और विभिन्न अभिलेखों की जांच करने के बाद, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आई. एन. ने उपयुक्त मापदंडों के साथ एक उचित प्रक्रिया तैयार की है, और इसे सभी प्रभावित शाखाओं/संवर्गों के सभी पात्र एस. एस. सी. ओ., पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर समान रूप से लागू किया है।

एच.

पी. सी. के अनुदान के लिए उनके विचार में। हम निर्धारित मापदंडों या अपनाई गई प्रक्रिया में कोई दुर्भावना नहीं पाते हैं।दिसंबर 2020 में आयोजित चयन बोर्ड और एनी नागराज (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले आयोजित चयन बोर्ड में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं देखा गया है।

[...]

121. बाकी आवेदकों की योग्यता स्थिति और स्थिति नीचे दी गई है।पी. सी.; पीयर और वॉर रिपोर्ट प्रविष्टियों के लिए सिफारिशों पर इनपुट सभी सी. आर. से सत्यापित किए गए हैं। अभिलेखों से यह देखा गया है कि आवेदकों को पी. सी. केवल इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि सीमित रिक्तियों के मुकाबले उनकी तुलनात्मक योग्यता और कुछ मामलों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाया गया है।"

ग

14. ए. एफ. टी. के निर्णय ने इस न्यायालय के समक्ष बारह दीवानी अपीलों की स्थापना की है।भारतीय नौसेना के छब्बीस अधिकारी सिविल अपील में इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हैं।इन छब्बीस अधिकारियों में से तेरह अभी भी अंतरिम आदेशों के अनुसार सेवा में हैं।शेष तेरह अधिकारी 2020,2021 और 2022 में अलग-अलग तिथियों से सेवा से बाहर हैं।बारह दीवानी अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष अपील करने वाले छब्बीस अधिकारियों के अलावा, आठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप के लिए आई. ए. दायर किए हैं।आठ में से सात अधिकारी अंतरिम आदेशों द्वारा संरक्षित हैं जबकि आठवें अधिकारी (कमांडर नवनीत शर्मा) का कार्यकाल दिसंबर 2022 के महीने में समाप्त होना है।

डी.

ई.

15. सिविल अपील के इस बैच में 31 जनवरी 2022 को नोटिस जारी किया गया था।अपीलार्थियों की शिकायत है कि सीलबंद आवरण प्रक्रिया, जिसका ए. एफ. टी. द्वारा पालन किया गया था, के परिणामस्वरूप काफी पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

च

प्रस्तुतियाँ

16. श्री हुज़ेफा ए अहमदी और श्री सी. यू. सिंह, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, अन्य वकीलों-सुश्री कामिनी जैसवाल, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन और सुश्री पूजा धर के साथ प्रस्तुत करते हैं कि ए. एफ. टी. ने अपने निर्णय के दौरान, व्यापक रूप से उस सामग्री पर भरोसा किया है जो नौसेना अधिकारियों द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई थी।यह आग्रह किया गया है कि इस सामग्री का खुलासा कभी भी अपीलकर्ताओं को नहीं किया गया था और यदि सामग्री का खुलासा उन्हें किया गया होता, तो वे यह प्रदर्शित करने की स्थिति में होते कि जिस डेटा पर भरोसा किया गया है, वह गंभीर रूप से विवाद में है और सही ए को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

जी.

एच.

637

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

स्थिति.प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. बालासुब्रमण्यम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने स्वेच्छा से डेटा को सीलबंद लिफाफे में रखने का विकल्प चुना और जो फाइलें पेश की गईं, वे ए. एफ. टी. के निर्देश पर थीं।

17. सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफा ए अहमदी द्वारा तीन प्रमुख प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया हैः

(i) एनी नागराज (उपरोक्त) मामले में अपने फैसले में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीसी के अनुदान के लिए एसएससी अधिकारियों के दावों का निर्धारण करने में सबसे अधिक रिक्तियों पर विचार किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

ग

((ii) कई बैचों को एक साथ जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप रिक्तियों को बैच-वार नहीं माना गया है और योग्यता में अंतर किया गया है; और

(iii) पी. सी. के अनुदान के लिए विचार ए. सी. आर. के आधार पर किया गया था जो ऐसे समय में आकस्मिक रूप से लिखे गए थे जब संबंधित अधिकारी पी. सी. के अनुदान के लिए पात्र नहीं थे जैसा कि इस न्यायालय के बाद के निर्णय (यद्यपि सेना के मामले में) में नितिशा (उपरोक्त) में देखा गया था।

डी.

18. योग्यता के आधार पर ए. एफ. टी. के निष्कर्षों पर आपत्तियां तैयार करते समय, अपीलार्थियों के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है किः(i) उत्तरदाताओं ने उन अधिकारियों के बीच कोई अंतर नहीं किया है जिन्हें 2008 से पहले शामिल किया गया था और जिन्हें 2008 के बाद शामिल किया गया था।

ई.

((ii) नौसेना द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि भौतिक समय पर रिक्तियों की गणना ठीक से नहीं की गई थी।

च

(iii) यह इंगित करने के लिए पर्याप्त डेटा है कि अधिकांश कैडरों में विवादित क्रम में दर्शाए गए रिक्तियों की तुलना में कई अधिक रिक्तियां मौजूद हैं;

((iv) 60 को अपनानाः40 ए. वी. सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुपात (पी. सी.: एस. एस. सी. अधिकारी) त्रुटिपूर्ण है क्योंकि रिपोर्ट के विभिन्न अन्य पहलुओं को नौसेना प्राधिकरणों द्वारा वित्तीय लाभों के वितरण सहित लागू किया जाना बाकी है।

जी.

(v) वार्षिक रिक्तियों की गणना 15 साल के वितरण के मनमाने आधार पर की गई है;

एच.

638

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

(vi) रिक्तियों की कुल संख्या को 15 से विभाजित करने की कार्यप्रणाली मनमाना है।

(vii) ए. एफ. टी. के निर्णय के पैराग्राफ 95 में निर्धारित चार्ट से पता चलता है कि 14 बैचों पर एक साथ विचार किया गया था; और

(viii) अलग-अलग अधिकारियों की शिकायतों पर निर्णय नहीं लिया गया है।उदाहरण के लिए, कमांडर एनी नागराज और अमित शर्मा के मामले में, हालांकि उन्हें पीसी के अनुदान के लिए अनुशंसित किया गया था और वे मौजूदा रिक्तियों के भीतर आते हैं, उन्हें इस आधार पर पीसी से वंचित कर दिया गया है कि उनकी सिफारिश नहीं की गई थी।

ग

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर बालासुब्रमण्यम ने निम्नलिखित दलीलें दींः(i) रिक्तियों की गणना करते समय, नौसेना अधिकारियों ने सही ढंग से ध्यान में रखा हैः

डी.

(क) भारतीय नौसेना की समग्र संवर्ग संरचना;

(ख) वे नीतियाँ जिनका लगातार पालन किया गया है; और (ग) भविष्य में भर्ती और सेवानिवृत्ति का स्वरूप; और भारतीय नौसेना में एक युवा प्रोफ़ाइल और एक संतुलित कैडर संरचना बनाए रखने की आवश्यकता।

ई.

((ii) पी. सी. का अनुदान विनियमन 203 द्वारा शासित होता है जिसके अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता स्थिर संवर्ग में होनी चाहिए।

(iii) जबकि स्थिर संवर्ग में आम तौर पर स्थायी संवर्ग में केवल सरकारी स्वीकृत पद शामिल होते हैं, इस न्यायालय के फैसले की भावना में, अस्थायी रिक्तियों और प्रशिक्षण मसौदा अवकाश आरक्षित (टी. डी. एल. आर.) रिक्तियों को भी स्थिर संवर्ग में जोड़ा गया था।

च

((iv) स्थिर संवर्ग की रिक्तियों को अगस्त 2015, सितंबर 2016 और मार्च 2020 के संदर्भ में तैयार किया गया था; (v) 60 का अनुपातः40 (पीसीः एसएससी) ए. वी. सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 3 नवंबर 2008 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

जी.

एच.

639

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

(vi) उपरोक्त के आधार पर, प्रत्येक स्ट्रीम में कमियों को 15 साल के चक्र द्वारा विभाजित किया गया था जो सेवा में एक पीसी अधिकारी और एसएससी अधिकारी के जीवन के बीच का अंतर है;

(vii) नौसेना की संतुलित संवर्ग संरचना, एक युवा प्रोफ़ाइल और लंबे समय में एक उचित प्रेरण/सेवानिवृत्ति पैटर्न की नीति के कारण किसी विशेष बैच या कुछ बैचों को संचालन शक्ति में कमियों को नहीं दिया जा सकता है।

(viii) उपरोक्त मॉडल के संदर्भ में प्रत्येक बैच को आवंटित रिक्तियों ने इस न्यायालय के फैसले की तारीख मार्च 2020 तक अधिकतम रिक्तियां प्रदान कीं;

ग

(ix) ए. एफ. टी. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, नौसेना ने एक नया अभ्यास किया और नौसेना निर्माण संवर्ग को सात और रिक्तियां आवंटित कीं और पी. सी. के अनुदान के लिए सात अधिकारियों को मंजूरी दी गई।

डी.

(x) बैचों के संयोजन के संबंध में, प्रत्येक एस. एस. सी. अधिकारी को लगातार अभ्यास के अनुसार दो 'लुक' (पहला और दूसरा 'लुक') दिए गए थे।पहली झलक पिछले बैच के अधिकारियों के साथ है, जिन्हें उनकी पहली झलक में पीसी नहीं दिया गया था और दूसरी झलक अगले उपलब्ध नए बैच के साथ है।इसलिए, प्रत्येक बैच पर अलग से विचार किया गया और यह मानना सही नहीं होगा कि रसद संवर्ग के 14 बैचों को एक साथ जोड़ा गया था।15 साल के चक्र के आधार पर प्रति बैच रिक्तियों का वितरण उचित है।

ई.

(xi) ए. सी. आर. लिखने का तरीका गलत नहीं है।नितिशा (ऊपर) में निर्णय भारतीय सेना से संबंधित था जो अलग है क्योंकिः

च

(क) भारतीय सेना के विपरीत जहां पुरुष अधिकारियों को पी. सी. दिया जा रहा था, भारतीय नौसेना के मामले में न तो पुरुषों और न ही महिला अधिकारियों को पी. सी. दिया गया था।

जी.

(बी) बोर्ड के संचालन से पहले पिछले पांच वर्षों में अधिकारियों द्वारा लिखे गए एसीआर को ध्यान में रखा गया था, जिसमें 2015 से पीसी के लिए सिफारिश की जा रही थी या नहीं, इस पर एक विशिष्ट कॉलम था; और

एच.

640

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

(ग) यदि तीन या अधिक एसीआर में पीसी के लिए किसी अधिकारी की सिफारिश नहीं की गई है, तो यह अयोग्यता होगी और इसलिए एक अधिकारी पीसी के अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही वह योग्यता में अधिक हो।

20. इस न्यायालय के समक्ष लिखित प्रस्तुतियों में दूसरे प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि (i) बोर्ड की कार्यवाही के लिए केवल ए. एफ. टी. को सीलबंद लिफाफे में प्रदान किया जाना एक मानक है; (ii) ए. एफ. टी. ने चयन बोर्ड की कार्यवाही के साथ-साथ व्यक्तिगत आवेदकों के गोपनीय दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि नौसेना ने इसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर पी. सी. के लिए अधिकारियों के दावों पर विचार किया था।

एनी नागराजा (ऊपर) में न्यायालय।विश्लेषण

ग

21. ए. एफ. टी. को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित करना था कि क्या (i) नौसेना अधिकारियों ने उन रिक्तियों की सही गणना की थी जिनके खिलाफ एस. एस. सी. अधिकारियों के दावों पर पी. सी. के अनुदान के लिए विचार किया जाएगा; और (ii) चयन बोर्ड ने पी. सी. के अनुदान के लिए आवेदनों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया।ए. एफ. टी. का निर्णय इंगित करता है कि रिक्तियों को निर्धारित करने के लिए की गई कवायद की वैधता और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता का आकलन करने में, इसने केंद्र सरकार और नौसेना प्राधिकरणों द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई फाइलों से निकले आंकड़ों से प्राप्त सामग्री पर व्यापक निर्भरता रखी।ए. एफ. टी. के निर्णय ने पैराग्राफ 92 में प्रभावित एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. देने के लिए विचार किए जाने वाले कैडर-वार संख्या और रिक्तियों का सारांश निर्धारित किया है।पैराग्राफ 93 और 94 में, ए. एफ. टी. ने रिक्तियों के उपयोग के संबंध में इसी तरह के सारणीबद्ध बयान दिए हैं।यह आँकड़ा ए. एफ. टी. के समक्ष विचार-विमर्श का विषय नहीं बना। वास्तव में, कमांडर वर्षा अग्रवाल (ऊपर) और कमांडर ए. के. शर्मा (ऊपर) में जवाबी हलफनामे से संकेत मिलता है कि डेटा एक सीलबंद नोट के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

डी.

ई.

च

22. इसी तरह, अपीलार्थियों को बोर्ड की कार्यवाही का खुलासा नहीं किया गया था।इस अदालत के समक्ष लिखित प्रस्तुतियाँ और ए. एफ. टी. के समक्ष कमांडर ए. के. शर्मा (ऊपर) में प्रस्तुतियाँ इंगित करती हैं कि बोर्ड की कार्यवाही का अधिकारियों को खुलासा नहीं किया गया था और ए. एफ. टी. को सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया गया था।बोर्ड की कार्यवाही के अवलोकन पर ए. एफ. टी. ने पाया है कि दूसरे प्रतिवादी ने उचित प्रक्रिया और उपयुक्त मापदंडों को अपनाया था जिन्हें उसने समान रूप से लागू किया था।दस्तावेजों के अवलोकन पर यह भी देखा गया कि कोई लिंग ए नहीं था

जी.

एच.

641

पक्षपातपूर्ण और पी. सी. के लिए अपीलार्थियों के आवेदनों को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे योग्यता में कम थे।

23. एनी नागराज (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने निर्देश दिया था कि पीसी के लिए सेवारत अधिकारियों के आवेदनों पर विनियमन 203 और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 के मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा।जिन मापदंडों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था वे थेः(i) भौतिक समय पर स्थिर संवर्ग में रिक्तियों की उपलब्धता; (ii) उपयुक्तता का निर्धारण; और (iii) नौसेना प्रमुख की सिफारिश।कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में, पैनल का गठन अधिकारियों के ए. सी. आर. पर मूल्यांकन की गई अंतर-योग्यता पर आधारित होना चाहिए।न्यायाधिकरण ने फैसले के पैराग्राफ 105 में कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन पर यह स्पष्ट था कि भारतीय नौसेना ने एनी नागराज (उपरोक्त) में निर्धारित मापदंडों के आधार पर एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. के लिए माना था।हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है कि प्रक्रिया में कोई कमजोरी नहीं थी, उसका खुलासा अपीलार्थियों को नहीं किया गया है।ए. एफ. टी. ने पाया कि पी. सी. के लिए चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत मापदंडों का महत्व वही है जो एनी नागराज (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले से पहले मौजूद था।भले ही चयन के लिए मापदंड और व्यक्तिगत मापदंडों का भार सार्वजनिक क्षेत्र में रहा हो, यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि चयन मानदंडों के अनुसार किया गया है या नहीं।ए. एफ. टी. ने दर्ज किया है कि चयन प्रक्रिया में 'कोई दुर्भावना' और 'कोई लिंग पूर्वाग्रह' नहीं है।हालाँकि, अपीलकर्ताओं के पास इन निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है क्योंकि सामग्री का खुलासा ए. एफ. टी. को एक सीलबंद लिफाफे में किया गया था।अन्य अधिकारियों को पी. सी. देने के आदेशों में भी आवेदकों की योग्यता पर कोई तर्क नहीं था।ए. एफ. टी. ने सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत फाइलों के अवलोकन पर आवेदकों की स्थिति को एक सारणीबद्ध प्रारूप में दर्ज किया जिसे निर्णय के पहले भाग में निकाला गया है।हालाँकि, अपीलकर्ताओं को ऐसी जानकारी की जानकारी नहीं थी।

ग

डी.

ई.

च

24. सीलबंद लिफाफे में ए. एफ. टी. को रिक्तियों की जानकारी और बोर्ड की कार्यवाही का खुलासा करने की प्रक्रिया के कारण भौतिक पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 11 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण कि क्या सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए, यह है कि क्या सभी 'उचित संभावना' में, सामग्री प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करेगी।निवारक निरोध के संदर्भ में निर्णय देते हुए, इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः

जी.

11 (1975) 2 एससीसी 81

एच.

642 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

“15. अब**,** इस प्रस्ताव पर शायद ही कोई विवाद किया जा सकता है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ ऐसी सामग्री है जो अत्यधिक हानिकारक है और हिरासत के उद्देश्य के साथ संबंध और प्रासंगिकता है**,** और उस समय के साथ निकटता है जब हिरासत आदेश का आधार बनाने वाली व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचा गया था**,** तो अदालत के लिए यह निष्कर्ष निकालना वैध होगा कि ऐसी सामग्री ने जिला मजिस्ट्रेट को उसकी व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने में

प्रभावित किया होगा और ऐसे मामले में अदालत जिला मजिस्ट्रेट के गंजे बयान को स्वीकार करने से इनकार कर देगी कि उसने ऐसी सामग्री को ध्यान में नहीं रखा और इसे विचार से बाहर कर दिया।यह बुनियादी बात है कि

ग

मानव मस्तिष्क डिब्बों में काम नहीं करता है।जब यह विभिन्न स्रोतों से प्रभाव प्राप्त करता है, तो यह प्रभावों की समग्रता होती है जो निर्णय लेने में जाती है और प्रभावों का विश्लेषण और विच्छेदन करना और भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि निर्णय लेने में कौन से प्रभाव गए और कौन से नहीं।न ही विशेष परिस्थितियों द्वारा बनाई गई धारणा को मिटाना एक आसान अभ्यास है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस तरह की धारणा के प्रभाव को बाहर रखा जा सके।इसलिए, ऐसे मामले में जहां जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सामग्री एक ऐसे चरित्र की है जो किसी भी उचित व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है, न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के इस निर्देश को स्वीकार करने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक होगा कि वह इतना प्रभावित नहीं था और एक दुर्भाग्य से, यदि ऐसी सामग्री का खुलासा बंदी को नहीं किया जाता है, तो निरोध के आदेश को दूषित कर दिया जाएगा, दोनों इस आधार पर कि सभी बुनियादी तथ्य और सामग्री जो जिला मजिस्ट्रेट की व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रभावित करती हैं, उन्हें बंदी को सूचित नहीं किया गया था और इस आधार पर भी कि बंदी को निरोध के आदेश के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।"

डी.

ई.

च

(जोर दिया गया**) 25**।टी**.** टाकानो बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **12** में**,**

जी.

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि सभी प्रासंगिक जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए।इस मामले में, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए मुद्दा यह था कि क्या एस. ई. बी. आई. (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियमों के विनियम 9 के तहत एक जांच रिपोर्ट है।

12 2022 ए की सिविल अपील संख्या 487-488

एच.

643

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

2003 जिस व्यक्ति को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया है, उसे इसका खुलासा किया जाना चाहिए।एस. बी. आई. ने जाँच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया था।एस. ई. बी. आई. का तर्क था कि उसने कारणदर्शक नोटिस जारी करने के लिए जांच रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया था।दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि निर्णय के लिए पक्षों को जानकारी का खुलासा तीन उद्देश्यों को पूरा करता है:((i) विश्वसनीयता:दोनों पक्षों द्वारा जानकारी रखने से अदालतों को दलीलों की सच्चाई निर्धारित करने में सहायता मिल सकती है; (ii) निष्पक्ष सुनवाई:एक वैध अपेक्षा है कि पक्षों को कार्यवाही में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए सभी जानकारी प्रदान की जाती है; (iii) पारदर्शिता और जवाबदेही:यह आवश्यक है कि निर्णय अपारदर्शी नहीं बल्कि पारदर्शी हो। पारदर्शिता जवाबदेही स्थापित करने में सहायता करती है।सूचना के प्रकटीकरण और पारदर्शिता पर इसके प्रभाव पर टिप्पणियों को नीचे निकाला गया है:

ग

"22. [...] एक पक्ष को उस जानकारी से वंचित रखना जो एक न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करती है, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी कमजोर करता है।यह संबंधित पक्ष और बड़े पैमाने पर जनता को प्राधिकरण के निर्णयों को प्रभावी ढंग से कम करने की क्षमता से वंचित करता है क्योंकि यह एक सूचना विषमता पैदा करता है।"

डी.

23. सूचना के प्रकटीकरण का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि निर्णय में त्रुटियों को रोकना है, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई और पारदर्शिता के बड़े संस्थागत उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में भी है।चूंकि सूचना के प्रकटीकरण का उद्देश्य परिणाम (विश्वसनीयता) और प्रक्रिया (निष्पक्ष परीक्षण और पारदर्शिता) दोनों को लक्षित करता है, इसलिए यह अपर्याप्त होगा यदि केवल उस सामग्री का खुलासा किया जाए जिस पर भरोसा किया गया है।प्रकटीकरण का ऐसा नियम, केवल परिणाम के साथ संबंध रखता है न कि प्रक्रिया के साथ।इसलिए, एक डिफ़ॉल्ट नियम के रूप में, सभी प्रासंगिक सामग्री का खुलासा किया जाना चाहिए।

ई.

च

26. इस अदालत ने कहा कि प्रकटीकरण का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।जिन भागों में तीसरे पक्ष की जानकारी या प्रतिभूति बाजार पर गोपनीय जानकारी शामिल है, उन्हें एस. ई. बी. आई. द्वारा रोक दिया जा सकता है। अदालत ने निर्देश दिया कि बोर्ड जांच रिपोर्ट के उन हिस्सों का खुलासा करने के लिए बाध्य है जो कारण बताएँ नोटिस में लगाए गए विशिष्ट आरोपों से संबंधित हैं।हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यह उस व्यक्ति को असंबंधित संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है जिसे नोटिस जारी किया गया है।अदालत ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया एस. ई. बी. आई. द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए कि जानकारी का खुलासा तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करेगा।एक बार जब संवेदनशीलता का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो जाता है, तो जिम्मेदारी बनती है

जी.

एच.

इसके बाद अपीलार्थी को यह साबित करने के लिए भेजा जाएगा कि उसके मामले का उचित बचाव करने के लिए जानकारी आवश्यक है।निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:51 [...]

(v) प्रकटीकरण का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।जानकारी का प्रकटीकरण अन्य तृतीय-पक्ष हितों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है।प्रत्यर्थी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि रिपोर्ट का खुलासा तीसरे पक्ष के अधिकारों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा।इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर डाल दी जाती है कि उसके मामले का उचित बचाव करने के लिए जानकारी आवश्यक है; और

ग

(vi) जहां जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में तीसरे पक्ष की जानकारी या प्रतिभूति बाजार पर गोपनीय जानकारी शामिल है, तो प्रतिवादी उस कारण से रिपोर्ट के किसी भी हिस्से का खुलासा करने के खिलाफ विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है। उत्तरदाता रिपोर्ट के उन वर्गों के प्रकटीकरण को रोक सकते हैं जो प्रतिभूति बाजार के स्थिर और व्यवस्थित कामकाज पर आधारित तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित हैं।

डी.

52 बोर्ड रिपोर्ट के ऐसे हिस्सों की प्रतियां प्रदान करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा जो कारण बताने के लिए नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों से संबंधित हैं।हालांकि, यह अपीलार्थी को तीसरे पक्ष और असंबंधित लेनदेन के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है जो जांच रिपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं।"

ई.

27. कानून का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए।भले ही न्यायनिर्णायक प्राधिकारी किसी निष्कर्ष पर पहुँचते समय सामग्री पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन विवाद के लिए प्रासंगिक जानकारी, जो 'उचित संभावना' के साथ प्राधिकरण के निर्णय को प्रभावित करेगी, का खुलासा किया जाना चाहिए।सामग्री का एकतरफा प्रस्तुतिकरण जो दूसरे पक्ष के बहिष्कार के लिए निर्णय का विषय बनाता है, प्राकृतिक न्याय का गंभीर उल्लंघन करता है।वर्तमान मामले में, इसके परिणामस्वरूप उन अधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जिनका करियर इसके परिणामस्वरूप सीधे प्रभावित होता है।

च

जी.

28. प्रभावित पक्ष को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा न करना और निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को एक सीलबंद लिफाफे में इसका खुलासा (इस ए में)

एच.

645

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए. एफ. टी.) एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रासंगिक सामग्री का खुलासा निर्णय की प्रक्रिया को अस्पष्ट और अपारदर्शी बनाता है।सीलबंद लिफाफे में खुलासा दो समस्याओं को कायम रखता है। सबसे पहले, यह पीड़ित पक्ष को किसी आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देने के उनके कानूनी अधिकार से वंचित करता है क्योंकि मुद्दों का निर्णय सीलबंद लिफाफे में प्रदान की गई साझा नहीं की गई सामग्री के आधार पर आगे बढ़ा है।सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत सामग्री पर भरोसा करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक निष्कर्ष पर पहुंचता है जिसे तब प्रभावी रूप से चुनौती की पहुंच से बाहर रखा जाता है।साथ ही, यह अपारदर्शिता और गोपनीयता की संस्कृति को कायम रखता है।यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के हाथों में पूर्ण शक्ति प्रदान करता है।यह एक मुकदमे में शक्ति के संतुलन को एक प्रमुख पक्ष के पक्ष में झुकाता है जिसका सूचना पर नियंत्रण होता है।अक्सर यह राज्य नहीं है।कारणों के साथ एक न्यायिक आदेश न्याय प्रणाली की पहचान है। यह कानून के शासन का समर्थन करता है।हालांकि, सीलबंद आवरण अभ्यास उस प्रक्रिया को जांच से परे रखता है जिसके द्वारा निर्णय लिया जाता है।सीलबंद आवरण प्रक्रिया व्यक्तिगत मामले से लेकर मामले के स्तर और संस्थागत स्तर दोनों पर न्याय वितरण प्रणाली के कामकाज को प्रभावित करती है।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।सचित्र रूप से, यौन उत्पीड़न पीड़ित की पहचान जैसी व्यक्तियों की गोपनीयता को प्रभावित करने वाली संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।असाधारण परिस्थितियों में संवेदनशील जानकारी के गैर-प्रकटीकरण का उपाय उस उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिए जिसे गैर-प्रकटीकरण पूरा करना चाहता है।हालांकि, अपवाद सामान्य नहीं होने चाहिए।

ग

डी.

ई.

29. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि उपलब्ध रिक्तियों का निर्धारण करने और यह आकलन करने के लिए कि क्या उनका सही उपयोग किया गया था, ए. एफ. टी. द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था, वह अपीलार्थियों को नहीं बताई गई है।इसी तरह, पी. सी. के लिए चयन निष्पक्ष था या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए ए.

एफ. टी. द्वारा जिन बोर्ड की कार्यवाही पर भरोसा किया गया था, उनका खुलासा अपीलार्थियों को नहीं किया गया है।हम बोर्ड की कार्यवाही के अभिलेखों में संवेदनशील जानकारी की विस्तृत श्रृंखला से अवगत हैं।उत्तरदाताओं को बंद बोर्ड सेटिंग के भीतर पीसी के लिए चयन पर विचार-विमर्श का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।जबकि ए. एफ. टी. ने अभिलेखों के अवलोकन पर निष्कर्ष निकाला कि पी. सी. के अनुदान में कोई लैंगिक पूर्वाग्रह या दुर्भावना नहीं थी, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिकारियों के पास इस अवलोकन को चुनौती देने के लिए सामग्री नहीं है।बोर्ड की कार्यवाही की गोपनीयता की रक्षा करते हुए उत्तरदाताओं को योग्यता में स्थिति का खुलासा करना चाहिए

च

जी.

एच.

अपीलार्थी उत्तरदाताओं द्वारा तैयार किए गए मापदंडों और उनके महत्व की तुलना करते हैं।

30. हमने वकील को अदालत को उन आपत्तियों की प्रकृति पर संक्षिप्त रूप से संबोधित करने की अनुमति दी जो प्रकट किए गए आंकड़ों के आधार पर उत्पन्न होती हैं।अपीलार्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि ए. एफ. टी. को रिमांड के बजाय, यह न्यायालय अभ्यास कर सकता है।हम दो कारणों से ऐसा करने के इच्छुक नहीं हैं।सबसे पहले, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत ए. एफ. टी. को एक प्राथमिक तथ्य-खोज भूमिका सौंपी गई है।अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते समय, यह उचित होगा यदि इस न्यायालय को ए. एफ. टी. के एक सुविचारित दृष्टिकोण का लाभ मिले। अपील में पहली बार मुद्दों पर निर्णय लेना, पहली धारणा के रूप में, उचित नहीं होगा।दूसरा, ए. एफ. टी. के समक्ष जो मुद्दे उठते हैं, वे मुख्य रूप से रिक्तियों के निर्धारण, उनके उपयोग के तरीके और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर निर्भर करते हैं।यह एक अभ्यास है जिसे इस न्यायालय के फैसले को लागू करते समय नौसेना अधिकारियों द्वारा किया जाना था।उस निर्धारण की शुद्धता ए. एफ. टी. के समक्ष विचार के लिए थी। दृढ़ संकल्प को बरकरार रखते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में, ए. एफ. टी. को अपीलार्थियों की आपत्तियों पर विचार करने का लाभ नहीं मिला है, जिस तरह से अधिकारियों द्वारा अभ्यास किया गया था। ऊपर उल्लिखित अपीलार्थियों की आपत्तियों को ए. एफ. टी. के समक्ष रखा जाता यदि सामग्री का खुलासा अपीलार्थियों को किया जाता।प्रासंगिक सामग्री का खुलासा करने में विफलता ने अपीलार्थियों के लिए पर्याप्त पूर्वाग्रह पैदा किया है।यह मामला सीलबंद आवरण प्रक्रिया का पालन करने के खतरे को उजागर करता है।

ग

डी.

ई.

31. उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि ए. एफ. टी. को रिमांड की आवश्यकता होगी।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ए. एफ. टी. ने ओ. ए. का निपटान करते समय एक श्रमसाध्य अभ्यास किया, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है।हमारा मानना है कि ए. एफ. टी. को पूरे मामले पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

च

32. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और ए. एफ. टी. के विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं। इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई अपीलों के अनुरूप ओ. ए. को ए. एफ. टी. द्वारा नए निर्णय के लिए बहाल किया जाता है। इन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कुछ हस्तक्षेप करने वालों सहित अपीलों के इस समूह के

कुछ अधिकारी अपने पक्ष में सुरक्षात्मक आदेशों के परिणामस्वरूप सेवा में बने हुए हैं, जबकि एक अधिकारी का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाला है।हम निर्देश देते हैं कि जो अधिकारी इस न्यायालय ए के अंतरिम आदेशों द्वारा संरक्षित हैं

जी.

एच.

647

सी. डी. आर. अमित कुमार शर्मा ई. टी. सी. बनाम भारत संघ और हमारा ई. टी. सी. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

ए. एफ. टी. के समक्ष कार्यवाही के निपटारे तक और उसके बाद ए. एफ. टी. के निर्णय की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि तक उन आदेशों का लाभ मिलता रहेगा, यदि उनके लिए अपील में इस न्यायालय के समक्ष निर्णय पर हमला करना आवश्यक हो जाता है।जिस अधिकारी का कार्यकाल दिसंबर 2022 में समाप्त होना है, वह भी उसी सुरक्षा के लाभ का हकदार होगा।

33. हम ए. एफ. टी. से अनुरोध करते हैं कि वे ओ. ए. का निपटान करें जिन्हें ए. एफ. टी. की फाइल में जल्दी और अधिमानतः फरवरी 2023 के अंत तक बहाल कर दिया गया है।

34. अभियोग/हस्तक्षेप के लिए आवेदनों सहित, यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

ग

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.